मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

//कार्यवाही विवरण//

भोपाल, दिनांक 27/05/2019

क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश की 21 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु एक्शन प्लान तैयार किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5 दिनांक 01 नवम्बर, 2018 के माध्यम से गठित नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) की तृतीय बैठक दिनांक 22/05/2019 को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सभागार में सम्पन्न हुई । बैठक में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित हुये :-

1. श्री सुरेश सेजकर, अधीक्षण यंत्री, प्रतिनिधि आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
2. श्रीमती सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग।
3. श्री संजय पाठक, उप संचालक, प्रतिनिधि आयुक्त उद्योग विभाग ।
4. श्री ए0 ए0 मिश्रा सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

समिति के सदस्यों के साथ ही विशेष आमंत्रितों में राज्य एवं केन्द्र शासन के विभिन्न विभागों के निम्न अधिकारी उपस्थित हुयेः-

1. डॉ0 बी0 के0 बहेरा, क्षेत्रीय डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2. श्री पी0 के0 जैन, संचालक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल।
3. श्री एन0 के0 परिहार, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग
4. श्री ए0 के0 एस सेंगर, कार्यपालन यंत्री, एमपीआईडीसी, भोपाल।

बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न है। (**संलग्न-1**)। बैठक के प्रारम्भ में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 20.09.2018, 19/12/2018 एवं 08/04/2019 के संबंध में समिति सदस्यों को अवगत कराया गया तथा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा योजनावार कार्य योजनाओं का प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया गया। समिति

1

द्वारा कार्य योजनाओं पर माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के आदेश के सापेक्ष चर्चा की गई तथा नदी पुनरूद्धार समिति (आरआरसी) द्वारा चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित जिन नदी प्रदूषित क्षेत्रों की विगत दो वर्ष से जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 03 मिग्रा/ली या इससे कम पाई गई है उनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय डायरेक्टरेट के साथ आगामी एक माह में संयुक्त मॉनिटरिंग की जावे एवं इन नदियों को नदी प्रदूषित क्षेत्रों की सूची से विलोपित करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया जावें ।
2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 20/09/2018 में उल्लेखित सभी प्रदूषित क्षेत्रों की विगत दो वर्षों की भू-जल गुणवत्ता रिपोर्ट बोर्ड को एक माह के भीतर उपलब्ध करायें।
3. जल संसाधन विभाग, भोपाल द्वारा प्रदेश में भू-जल स्तर एवं गुणवत्ता का आंकलन करता है जिसकी विगत दो वर्षों की रिपोर्ट बोर्ड को एक माह के भीतर उपलब्ध कराई जावें।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदूषित नदी क्षेत्रों से सबंधित सभी नगरीय निकायों की योजनाओं को दिनांक 30/06/2021 तक अथवा इसके पूर्व लागू करने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 08.04.2019 के परिपालन में सभी कार्य योजनायें दिनांक 30/06/2021 तक अथवा के इस के पूर्व सम्पन्न की जाना है। तद्नुसार योजनाओं की कार्यावधि निश्चित की जावे।
6. प्रदेश की प्रदूषित नदी क्षेत्र से संबंधित नदियों सदानीरा नहीं हैं। समिति द्वारा इस तथ्य को नोट किया गया।
7. बोर्ड द्वारा तैयार कार्ययोजनाओं को निम्नानुसार शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः-

(i) **सोन नदी, अमलाईः** योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी. ओ.डी. 03 मिग्रा/ली या इससे कम पाई गई है। अतः इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमादित किया गयाः-
   a) नदी जल गुणवत्ता 'बी' श्रेणी की बनी रहे इस हेतु नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
   b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) नदी क्षेत्र में आने वाले मेसर्स ओरियंट पेपर मिल, अमलाई में शून्य निस्त्राव की सतत् निगरानी रखी जावे।
d) धनपुरी नगरपालिका में घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जाये।

(ii) **ताप्ती नदी, नेपानगर-बुरहानपुर** : योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 03 मिग्रा/ली या इससे कम पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमादित किया गयाः
a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
c) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(iii) **गोहद डेम,गोहदः** योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 03 मिग्रा/ली या इससे कम पाई गई है। अतः इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया :
a) गोहद डेम की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 03 मिग्रा/ली या इससे कम की बनी रहे, इस हेतु नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
c) योजना में प्रस्ताव अनुसार छः माह के भीतर औद्योगिक एवं भू-जल प्रदूषण का मापन कर प्रतिवेदन पस्तुत किया जाये।

(iv) **चामला नदी, बड़नगरः** योजना के प्रस्तुतीकरण अनुसार इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमादित किया गयाः
a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार प्रस्तुत कार्य योजना में घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021तक अथवा इसके पूर्व सुनिश्चित की जाय।

(v) **चौपन नदी, विजयपुर** : योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2017,2018 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 03 मिग्रा/ली या इससे कम पाई गई है। अतः इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमादित किया गयाः

a) नदी जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 03 मिग्रा/ली या इससे कम बनी रहे इस हेतु नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) नदी क्षेत्र में आने वाले मेसर्स नेशनल फर्टीलाईजर लिमि., विजयपुर जिला गुना से शून्य निस्त्राव की सतत् निगरानी रखी जावे।

(vi) **कलियासोत नदी, समरधा, मण्डीदीपः** योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 0.36 से 4.1 मिग्रा/ली पाई गई है। इस क्षेत्र में घरेलू जल-मल के कारण प्रदूषण है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) प्रस्तुत योजना में जल-मल उपचार पश्चात् उपचरित जल के पुर्नउपयोग की योजना शामिल की जावे।

d) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(vii) **कन्हान नदी, छिन्दवाड़ाः** योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी. ओ.डी.1.8 से 3.4 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
c) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(viii) **बिछिया नदी, जिला रीवाः** योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी. ओ.डी.1.6 से 3.5 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमादित किया गयाः

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
c) प्रस्तुत योजना में जल-मल उपचार पश्चात् उपचारित जल के पुर्नउपयोग की योजना शामिल की जावे।
d) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(ix) **कटनी नदी कटनीः** योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी. ओ.डी. 03 मिग्रा/ली से कम पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो-डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) प्रस्तुत योजना में जल-मल उपचार पश्चात् उपचरित जल के पुर्नउपयोग की योजना शामिल की जावे।

d) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(x) **कुन्दा नदी खरगोन** : योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी.1.2 से 4.0 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो- डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) प्रस्तुत योजना में जल-मल उपचार पश्चात् उपचरित जल के पुनर्उपयोग की योजना शामिल की जावे।

d) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(xi) **मलेनी नदी जावरा** : योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 1.2 से 7.0 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः-

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो- डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) प्रस्तुत योजना में जल-मल उपचार पश्चात् उपचरित जल के पुनर्उपयोग की योजना शामिल की जावे।

d) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(xii) **मंदाकिनी नदी रामघाट चित्रकूट** : योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 1.1 से 6.9 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः-

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो- डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
c) प्रस्तुत योजना में जल-मल उपचार पश्चात् उपचरित जल के पुनर्उपयोग की योजना शामिल की जावे।
d) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(xiii) **नेवज नदी शुजालपुर** : योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी. ओ.डी. 2.0 से 3.8 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो- डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
c) प्रस्तुत योजना में जल-मल उपचार पश्चात् उपचरित जल के पुनर्उपयोग की योजना शामिल की जावे।
d) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(xiv) **पार्वती नदी पीलूखेड़ी** : योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी. ओ.डी. 1.7 से 2.8 मिग्रा/ली पाई गई है। इस क्षेत्र में घरेलू निस्त्राव का कोई स्रोत नहीं है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः-

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो- डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
c) औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी में स्थापित उद्योगों से शून्य निस्त्राव की स्थिति हेतु सतत् निगरानी रखी जावें।

(xv) **सिमरार नदी कटनी :** योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी. ओ.डी. 1.0 से 2.8 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः-

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो- डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
c) प्रस्तुत योजना में जल-मल उपचार पश्चात् उपचरित जल के पुनर्उपयोग की योजना शामिल की जावे।
d) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(xvi) **टोन्स नदी चाकघाट :** योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी. ओ.डी. 0.7 से 2.3 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः-

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो- डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

(xvii) **बेनगंगा नदी छपारा रोड ब्रिज** : योजना के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं मार्च 2019 तक की जल गुणवत्ता में बी.ओ.डी. 1.2 से 3.2 मिग्रा/ली पाई गई है। इस प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्रस्तुत कार्ययोजना को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः-

a) नदी की नियमित मासिक जल गुणवत्ता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बॉयो- डायवरसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

b) जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

c) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार घरेलू जल-मल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें दिनांक 30/06/2021 के पूर्व सुनिश्चित की जायें।

8. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संलग्न पत्र कमांक F No.A-14011/1/2019-WQM-I/17357 dated 18/03/2019 के अनुसार Priority-III to Priority-V संबंधी योजनाओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार State River Rejuvenation Committee द्वारा अनुमोदित योजनाओं को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार River Rejuvenation Committee की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावें।

9. योजनाओं की एक प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिकार्ड हेतु भेजी जावें।

10. प्रदेश में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (Environmental Planning and Coordination Organisation - EPCO) मध्यप्रदेश द्वारा किया जा रहा है। अतः समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि Polluted River Strectches हेतु बनायी गयी कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन EPCO के माध्यम से कराया जा सकता है।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
पर्यावरण विभाग

पृ.कं. एफ 12-83/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 27 /05/2019

प्रतिलिपि :-

उपरोक्तानुसार State River Rejuvenation Committee द्वारा अनुमोदित योजनाओं को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार लागू किये जाने हेतु सर्वसंबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल
4. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
6. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
7. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की ओर उनके पत्र कमांक F No.A-14011/1/2019-WQM-I/17357 dated 18/03/2019 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
8. श्री पी.के. जैन, संचालक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
9. डॉ0 बी0 के0 बहेरा, क्षेत्रीय डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहकार भवन, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल।
10. श्री एन0 के0 परिहार, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, नर्मदा भवन, भोपाल।
11. श्री ए0 के0 एस सेंगर, कार्यपालन यंत्री, एमपीआईडीसी, एम.पी. नगर, भोपाल।
12. प्रभारी अधिकारी, श्री एच.एस. मालवीय, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. कलेक्टर, जिला भोपाल, रायसेन, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिण्ड, गुना, राजगढ़, छिंदवाड़ा, रीवा, कटनी, सतना, सिवनी, बुरहानपुर, खरगोन, शहडोल की ओर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.09.2018, 19.12.2018 एवं 08.04.2019 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, सतना, रीवा, शहडोल, जबलपुर, कटनी, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि पॉल्यूटेड रिवार स्ट्रेचेस के एक्सन प्लान की एक-एक प्रति सभी संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर भेजें।
15. विधि अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव

पर्यावरण विभाग

संलग्नक - 1

Attendance Sheet

Meeting of River Rejuvenation committee

Date: - 22/05/2019 Time 11.00 AM

Venue: - Meeting hall of MPPCB Head office Bhopal

S.N	Name of officer	Post	Mobile Number / e-mail address	Signature
1.	Sanjay Pathak	DD, MSME Deptt.	9425374204	[signature]
2.	Supriya Pendke	US	9826836531	[signature]
3.	A.K.S. Sengar	EE MPIDC, BPL	9425007879	[signature]
4	P.K TRIVEDI	RO MPPCB Ujjain	78984-91421	[signature]
5	Alok Jain	R.O MPPCB Dewas	9425134338	[signature]
6.	H.K. Tiwari	RO MPPCB Katni	9425005578	[signature]
7.	N.K. Parihar	S.E (WRD)	9425710743	[signature]
8.	Sanjay Rajput	R.O. MPPCB Chhindwara	9584152260	[signature]
9	Dr. P.S Bundela RO	RO Bhopal		
10	Dr. Avinash Karera	CC BPL	9993027243	[signature]
11	Dr P. S. Bundela	RO BPL	9407001710	[signature]
12	Dr Rahul Dwivedi	Scientist Ro Satna	7000693869	[signature] 22.5.19

Attendance Sheet

Meeting of River Rejuvenation committee

Date: - 22/05/2019 Time 11.00 AM

Venue: - Meeting hall of MPPCB Head office Bhopal

S.N	Name of officer	Post	Mobile Number / e-mail address	Signature
13.	Dr. Shubhi Mathur	Jr. Sci.	9407302637 & shubhimathur67@gmail.com	Shubhi
14.	R.K. Jain.	Scientist	94257-54208 rompcb_gwalior@rediffmail.com	[signature]
15	P K Jain	Regional Director (I/c) CGWB	9425600912 rdmcr-cgwb@nic.in	PK Jain
16	M.K. Mandrai	SE MPPCB	9300770803	[signature]
17	G. Ambulkar	C.C.	9827249088	[signature]
15.	Sanjeev Mehra	R.O. Shahdol	9893074407	[signature]
16	Shrinivas Dwivedi	RO Jabalpur	9827210458	[signature]
17.	Suresh Sejkar	SE	9425168717	[signature]
18	R.K. Gole	RO Indore	9425076882	[signature]
19	Achyut Mishra	MO	9993054441	[signature]
20	P.R. Deo	SSO	9827570974	[signature]

Attendance Sheet

Meeting of River Rejuvenation committee

Date: - 22/05/2019 Time 11.00 AM

Venue: - Meeting hall of MPPCB Head office Bhopal

S.N	Name of officer	Post	Mobile No e-mail address	Signature
21.	Dr P.K Behera CPCB	Regional Director	~~bho~~ cpcb.bhopal@gmail.com	[signature]
22	H. S. Malviya	SE, MPPCB	hsmalviya@gmail.com	[signature]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

Speed Post

F.No.A-14011/1/2019-WQM-I (7357

18.03.2019

No. 4384 Dt. 23/3/19

To

The Member Secretary,
Madhya Pradesh Pollution Control Board,
E-5, Arera Colony, ParyavaranParisar,
Bhopal - 462 016, Madhya Pradesh

Sub: Action plans for rejuvenation of identified Polluted River Stretches (P-III to V) in compliance to Hon'ble NGT (PB) New Delhi order dated 20th September, 2018 in Original Application No. 673/2018 in the matter of news item published in 'The Hindu' titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB"

Sir,

As per Hon'ble NGT order on 19.12.2018 in OA No 673/2018 in the matter of News item published in 'THE HINDU' titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB", all State Governments and Union Territory Administration were directed to submit action plans for all the identified polluted river stretches to CPCB.

The action plans pertaining to identified polluted river stretches in respect of category P-III to P-V, does not require approval from CPCB. However, approval of River Rejuvenation Committee (RRC) constituted by the State Govt. in compliance to Hon'ble NGT order is required for initiating actions for implementation of action plans by the State. The action plan in respect of P-III to P-V polluted river stretches be ensured covering all aspects as per Hon'ble NGT Orders dated 20.09.2018 and 19.12.2018 to achieve the desired water quality criteria and apprised Hon'ble NGT on action taken periodically.

In view of above, it is requested to kindly take necessary action for ensuring compliance to Hon'ble NGT order dated 20.09.2018 and 19.12.2018 in OA No 673 of 2018 and a copy of approved action plans in respect of category P-III to P-V along with performance guarantee be send to CPCB without any further delay.

Yours faithfully,

(A. Sudhakar)
Head, WQM-I Division

SE/V1 SE(HSM) SSO(Monic) 28/3/19 01/04/19

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL
E-5 Paryavaran Parisar Arera Colony Bhopal – 16
Telephone - 0755-2466392 e-mail: romppcb_bpl@rediffmail.com

No. 3584 / ROMPPCB/ Bhopal/2019 Date. 28/5/19

To,

Chief Scientific Officer,
M.P. Pollution Control Board
Bhopal

Sub: Action Plan for rejunevation of river Kolar.
Ref: H.O. Letter no. 120 dated 25/04/2019

This is with reference to the HO letter no. 120 dated 25/04/2019. RO Bhopal was directed to submit Action Plan for rejuvenation of River Kaliasot (Samrdha to Mandideep) and River Kolar (Surajnagar to Shirdipuram). In this context following points may please be noted:

- River Kolar does not exists in the delineated stretch. However, Surajnagar and Shirdipuram residential colonies are located in the catchment of river Kaliasote.
- River Kaliasot originates from the spill of Upper Lake Bhopal. Kaliasot dam has been constructed on the river at about 3 km from its origin point.
- The catchment in this stretch includes forest area of 'Van Vihar', and scattered habitation. In this stretch there is no water intake point or bathing space on the Kaliasot River. The water quality of the dam reveals 'B' category. A contiguous stretch of the river is observed only at the downstream of the dam.
- The action plan submitted for rejuvenation of river Kaliasot covers entire stretch starting from Kaliasot dam up the confluence point with river Betwa. Thus, no separate action plan may be required for the stretch of river Kaliasot from Surajnagar to Shirdipuram.

CPCB may please be informed accordingly.

(Dr. Pushpendra Singh)
Regional Officer

No. / ROMPPCB/ Bhopal/2019 Date.

CC:
Member Secretary, MPPCB Bhopal for information please.

(Dr. Pushpendra Singh)
Regional Officer